

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015—अग्रहायण 6, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. 8099-331-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 नवम्बर, 2015 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०१५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

भाग एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग दो

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन)
अधिनियम, १९९६ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २७ का संशोधन.
३. धारा ७ का संशोधन.

भाग तीन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २८ का संशोधन.
५. धारा ३ और ११ का संशोधन.

भाग चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.
७. धारा ७ और १३ का संशोधन.

भाग पांच

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.
९. धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

भाग छह

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

१०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन.
११. धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

भाग सात

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)
अधिनियम, १९७९ का संशोधन

१२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.
१३. धारा ४ का संशोधन.

भाग आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.
१५. धारा ३ का संशोधन.

भाग नौ

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

१६. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन.

भाग दस

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

१७. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट.

भाग ग्यारह

विविध उपबंध

१८. नियम बनाने की शक्ति.
१९. कठिनाईयों का दूर किया जाना.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०१५

[दिनांक ११ नवम्बर, २०१५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ नवम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में,—

- (एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७)
(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८)
(तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७)
(चार) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३)
(पाँच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४)
(छह) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०)
(सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७)
को और संशोधित करने हेतु तथा अन्य श्रम विधियों के संबंध में प्रकीर्ण उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग दो

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन)
अधिनियम, १९९६ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को
लागू हुए रूप में
केन्द्रीय अधिनियम,
१९९६ का २७ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में, धारा ७ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३क) यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण कर दिया गया समझा जाएगा.”

भाग तीन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को
लागू हुए रूप में
केन्द्रीय अधिनियम,
१९९६ का २८ का
संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३ और ११ का
संशोधन.

५. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा ३ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१क) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी कारखाने में प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से संयंत्रों और मशीनरी के क्रय तथा परिवहन पर उपगत लागत और ऐसी अन्य लागतों को, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत से अपवर्जित कर दिया जाएगा.”;

(दो) धारा ११ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५ के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा ९ के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक, ऐसे समय के भीतर, जो कि विहित किया जाए, उस अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए तथा ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपील कर सकेगा.”

भाग चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम में,—

धारा ७ और १३ का संशोधन.

(एक) धारा ७ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप करने या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.”;



(दो) धारा १३ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(४) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, उस स्थापन के संबंध में, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, यदि अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञापित देने या उससे इंकार करने या उसे मंजूर करने में आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश देने में असफल रहता है तो ठेकेदार को सम्यक् रूप से अनुज्ञापित दे दी गई समझी जाएगी.”



भाग पांच

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को, इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम में,—

धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

(एक) धारा ६५ में,—

(क) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) (क) धारा ५१, ५२, ५४ और ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वयस्क पुरुष कर्मकार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन रहते हुए किसी कारखाने में, सप्ताह में, ४८ घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी :—

(एक) किसी भी दिन कार्य के कुल घंटे बारह से अधिक न हों;

(दो) विश्राम अंतराल को मिलाकर किसी एक दिन में काम का विस्तार तेरह घंटों से अधिक नहीं हो;

(तीन) अतिकाल को मिलाकर, किसी सप्ताह में कार्य के कुल घंटे साठ से अधिक नहीं हों;

(चार) किसी कर्मकार को, एक समय में सात दिन से अधिक का अतिकाल काम करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और किसी तिमाही में अतिकाल काम के कुल घंटे एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं हों;

(पाँच) ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिये अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा.

(ख) अधिष्ठाता, कर्मकारों के काम के घंटों और अतिकाल काम की जानकारी ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, संधारित करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में “तिमाही” का वही अर्थ होगा जैसा कि धारा ६४ की उपधारा (४) में दिया गया है.”;

(दो) धारा ६६ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) और परन्तुक का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उन महिलाओं, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनसे रात ८ बजे से सुबह ६ बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में काम करने की अपेक्षा की जाती है या काम करने की अनुज्ञा दी जाती है.”;

(तीन) धारा ७९ में, उपधारा (१) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(१) प्रत्येक कर्मकार को, जिसने एक कलेंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में १८० दिन या अधिक की कालावधि तक कार्य किया है, उसी कलेंडर वर्ष के दौरान निम्नलिखित दर पर संगणित दिन की मजदूरी सहित छुट्टी लेने की अनुज्ञा दी जाएगी—

(एक) किसी वयस्क की दशा में, एक कलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन;

(दो) किसी बालक की दशा में एक कलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक पंद्रह दिन के काम के लिये एक दिन.

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) करार या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के कोई दिन;

(ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनधिक के लिये प्रसूति छुट्टी के कोई दिन; और

(ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी,

१८० या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिये ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार के कारखानों में काम किया है.”.

भाग छह

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

१०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम में,—

(एक) धारा २-क में, उपधारा (३) में, शब्द “श्रम न्यायालय या अधिकरण” के स्थान पर, शब्द “श्रम न्यायालय या अधिकरण या सुलह अधिकारी” स्थापित किए जाएं;

धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

(दो) धारा २५ च में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द “एक महीने की सूचना” के स्थान पर शब्द “तीन महीने की सूचना” स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूर्ण वर्ष के लिये या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर या उसके तीन मास के औसत वेतन की राशि के, जो भी अधिक हो, बराबर हो; और”;

(तीन) धारा २५ ट में, उपधारा (१) में, शब्द “एक सौ” के स्थान पर, शब्द “तीन सौ” स्थापित किए जाएं.

भाग सात

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन.

१२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम में, धारा ४ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

धारा ४ का संशोधन.

“परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.”.

भाग आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम में, धारा ३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ३ का संशोधन.

“परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.”

भाग नौ

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

मध्यप्रदेश राज्य में
कतिपय श्रम
विधियों के अधीन
अपराधों का प्रशमन.

१६. (१) निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :—

(एक) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);

(दो) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);

(तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);

(चार) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);

(पांच) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११); में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए अथवा पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, (यदि कोई हो), दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किन्तु अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल करके जैसी कि वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा

(ख) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए, कारित जुर्माने तथा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, एक मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम रूपए १०,००० के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम जुर्माने की दस गुना के बराबर राशि, दो मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रूपए २०,००० अथवा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रूपए ३०,००० की राशि वसूल करके प्रशमन कर सकेगा.

(२) अपराध का—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जाएगा.

भाग दस

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

१७. निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :—

(एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७);

(दो) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);

(तीन) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३);

मध्यप्रदेश राज्य में
कतिपय श्रम
विधियों के अधीन
विभिन्न प्रकार की
पंजियों के संधारण
तथा विभिन्न प्रकार
की विवरणियां
प्रस्तुत किए जाने से
छूट.

- (चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४);
- (पांच) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०);
- (छह) श्रम विधि (विवरण देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);
- (सात) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ५३);
- (आठ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);
- (नौ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७)
- (दस) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५ (१९६५ का २१);
- (ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२ (१९७२ का ३९);
- (बारह) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);
- (तेरह) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११),
के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्ररूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापन द्वारा पंजियां तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियां और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी.

भाग ग्यारह

प्रकीर्ण उपबंध

१८. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी. नियम बनाने की शक्ति.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन् असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों. कठिनाईयों का दूर किया जाना.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. 8099 A-331-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2015

**THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND
MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2015**

TABLE OF CONTENTS

Sections:

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

PART II

**AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS
(REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996**

2. Amendment of Central Act No. 27 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 7.

PART III

**AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS
WELFARE CESS ACT, 1996**

4. Amendment of Central Act No. 28 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.
5. Amendment of Sections 3 and 11.

PART IV

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

6. Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.
7. Amendment of Sections 7 and 13.

PART V

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

8. Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.
9. Amendment of Sections 65, 66 and 79.

PART VI

AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

10. Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.
11. Amendment of Sections 2A, 25F and 25K.

PART VII

AMENDMENT OF THE INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979

12. Amendment of Central Act No. 30 of 1979 in its application to the State of Madhya Pradesh.
13. Amendment of Section 4.

PART VIII

AMENDMENT OF THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

14. Amendment of Central Act No. 27 of 1961 in its application to the State of Madhya Pradesh.
15. Amendment of Section 3.

PART IX

COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS UNDER CERTAIN LABOUR LAWS

16. Composition of offences under certain Labour laws in the State of Madhya Pradesh.

PART X

EXEMPTION FROM MAINTAINING MULTIPLE REGISTERS AND SUBMISSION OF MULTIPLE RETURNS

17. Exemption from maintaining multiple registers and submission of multiple returns under certain Labour Laws in the State of Madhya Pradesh.

PART XI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

18. Power to make rules.
19. Removal of difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2015

THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 2015

[Received the assent of the President on the 11th November, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th November, 2015.]

An Act further to amend the—

- (i) Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996);
- (ii) Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996);
- (iii) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970);
- (iv) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);
- (v) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947);
- (vi) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979);
- (vii) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961).

in their application to the State of Madhya Pradesh and to make miscellaneous provisions regarding other Labour Laws.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

PART I PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

PART II AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996

Amendment of Central Act No. 27 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Section 7.

3. In the principal Act, in Section 7, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3A) If no adverse order is passed in regard to registration of establishment by the Registering Officer within the prescribed period from the date of submission of application, then the registration shall be deemed to be duly granted.”

PART III AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE CESS ACT, 1996

Amendment of Central Act No. 28 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.

4. The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Section 3 and 11.

5. In the principal Act,—

(i) in Section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), costs incurred on purchase and transportation of plant and machinery meant to be used in a factory and such other costs as may be specified by notification issued by the State Government shall be excluded from the cost of construction incurred by an employer.”;

(ii) in Section 11, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Notwithstanding anything contained in the rules made under this Act, any employer aggrieved by an order of assessment made under Section 5 or by an order imposing penalty under Section 9 may, within such time as may be

prescribed, appeal to such appellate authority in such form as may be prescribed and in such manner as may be specified by the State Government.”.

PART IV

AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

6. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.

7. In the principal Act,—

Amendment of Section 7 and 13.

(i) in Section 7, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) Upon submission of an application complete in all respects, in accordance with sub-section (1), the establishment in respect of which such application is made shall be deemed to be duly registered if the registering officer fails to pass an order either granting or refusing or objecting to grant or amend the registration within a period of 30 days from the date of submission of application.”;

(ii) in Section 13, after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(4) Upon submission of an application complete in all respects in accordance with sub-section (1), the contractor in relation to an establishment in respect of which such application is made shall be deemed to be duly licensed if the licensing officer fails to pass an order either granting or refusing or objecting to grant or renew or amend the license within a period of 30 days from the date of submission of application.”.

PART V

AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

8. The Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

9. In the principal Act,—

Amendment of Section 65, 66 and 79.

(i) in Section 65,—

(a) sub-section (2) shall be deleted;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) (a) Notwithstanding anything contained in sections 51, 52, 54 and 56, an adult male worker may be allowed to work in a factory for more than 48 hours in a week subject to fulfilment of following conditions:—

(i) the total number of hours of work in any day shall not exceed twelve;

(ii) the spread over, inclusive of intervals for rest, shall not exceed thirteen hours in any one day;

- (iii) the total number of hours of work in any week, including overtime, shall not exceed sixty;
 - (iv) no worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed one hundred and twenty five;
 - (v) such overtime work shall not be made compulsory or obligatory for any worker.
- (b) The occupier shall maintain information of working hours and overtime work of workers in such manner as may be prescribed.

Explanation.—In this sub-section “quarter” has the same meaning as in sub-section (4) of section 64.”;

- (ii) in Section 66,—
 - (a) in sub-section (1), clause (b) and proviso shall be omitted;
 - (b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - “(1A) The State Government may, by order, specify conditions for ensuring safety of women who are required or allowed to work in any factory or manufacturing process between the hours of 8 P.M. and 6 A.M.”;
- (iii) in Section 79, for sub-section (1) and Explanation 1, the following sub-section and Explanation shall be substituted, namely:—
 - “(1) Every worker who has worked for a period of 180 days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the same calendar year, leave with wages for a number of days calculated at the rate of—
 - (i) if an adult, one day for every twenty days of work performed by him during the calendar year;
 - (ii) if a child, one day for every fifteen days of work performed by him during the calendar year.

Explanation 1.—For the purpose of this sub-section—

- (a) any days of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the standing orders;
- (b) in the case of a female worker, maternity leave for any number of days not exceeding twelve weeks; and
- (c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is enjoyed, shall be deemed to be days on which the worker has worked in a factory for the purpose of computation of the period of 180 days or more.”.

PART VI

AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

10. The Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

11. In the principal Act,—

- (i) in Section 2-A, in sub-section (3), for the words “the Labour Court or Tribunal”, the words “the Labour Court or Tribunal or Conciliation Officer” shall be

Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Amendment of Sections 2A, 25F and 25K.

substituted;

(ii) in Section 25F,—

(a) in clause (a), for the words “one month's notice”, the words “three month's notice” shall be substituted;

(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months, or an amount equivalent to his three months' average pay, whichever is more; and”;

(iii) in Section 25K, in sub-section (1), for the words “one hundred”, the words “three hundred” shall be substituted.

PART VII

AMENDMENT OF THE INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979

12. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 30 of 1979 in its application to the State of Madhya Pradesh.

13. In the principal Act, in Section 4, in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 4.

“Provided that if no adverse order is passed by the Registering Officer within thirty days from the date of submission of application under sub-section (1), then the registration shall be deemed to be duly granted.”.

PART VIII

AMENDMENT OF THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

14. The Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 27 of 1961 in its application to the State of Madhya Pradesh.

15. In the principal Act, in Section 3, in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 3.

“Provided that if no adverse order is passed by the prescribed authority within a period of 30 days from the date of submission of application, then the registration shall be deemed to be duly granted.”.

PART IX

COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS UNDER CERTAIN LABOUR LAWS

16.(1) Notwithstanding anything contained in the following Acts, namely :—

Composition of offences under certain Labour Laws in the State of Madhya Pradesh.

- (i) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976);
- (ii) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 (No. 51 of 1988);
- (iii) Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948);
- (iv) Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936);
- (v) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No. 11 of 1976),

an officer authorised by the State Government in this behalf by notification may compound.

- (a) any offence punishable with only fine under these Acts committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of previous offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence, or
- (b) any offence punishable with fine and imprisonment up to three months under these Acts committed for the first time, either before or after institution of the prosecution, on realization of composition fee of an amount equivalent to ten times of the maximum fine subject to a minimum of Rs. 10,000 for offences punishable with imprisonment up to one month Rs. 20,000 for offences punishable with imprisonment up to two months or Rs. 30,000 for offences punishable with imprisonment up to three months.

(2) When the offence is so compounded—

- (i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty;
- (ii) after the institution of prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

PART X

EXEMPTION FROM MAINTAINING MULTIPLE REGISTERS AND SUBMISSION OF MULTIPLE RETURNS

Exemption from maintaining multiple registers and submission of multiple returns under certain Labour Laws in the State of Madhya Pradesh.

17. Notwithstanding anything contained in the provisions of the following Acts, namely :—
- (i) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970);
 - (ii) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976);
 - (iii) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);
 - (iv) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947);
 - (v) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979);
 - (vi) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 (No. 51 of 1988);
 - (vii) Maternity Benefit Act, 1961 (No. 53 of 1961);
 - (viii) Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948);

- (ix) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961);
- (x) Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965);
- (xi) Payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972);
- (xii) Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936);
- (xiii) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No. 11 of 1976);

the State Government by order may devise or notify forms for maintaining registers and records and furnishing returns by an employer or establishment in lieu of the forms prescribed under the said Acts and the rules made thereunder:

Provided that the State Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.

PART XI MISCELLANEOUS PROVISIONS

18. (1) The State Government, subject to the condition of previous publication, may make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act;

Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as after they are made, be laid on the table of the Legislative Assembly.

19. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty.

Removal of difficulties.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.